निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (291) आकाशि/अनु/2006/158 दिनांकः–29/5/12

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011–12 से पूर्व मे आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र. सं.	फा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
	291	श्री मधुकर श्याम महाविद्यालय	सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय इतिहास

नोट– संस्था 6 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टॉफ का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।

1. सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी प्रावधानों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. [illegible] महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. [illegible] निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भजेगी।

निदेशक
कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं।
5. अनुभागाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

सयुक्त–निदेशक (अनुदान)

प्राचार्य
श्री मधुकर श्याम महाविद्यालय
सूरजगढ़ (झुन्झुनूं) राज.